



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938

No. 277]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/VAISAKHA 1, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

**सा.का.नि. 433(अ).**—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना को, जिसे सा.का.नि. 221(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उन बातों के सिवाय निरसन करते हुए, जिन्हें ऐसे निरसन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निरसित करती है।

[फा. सं. ए-12018/1/2014-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2016

**G. S. R. 433(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby repeals the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, section 3, sub-section (i), vide GSR - 221 (E) dated the 23<sup>rd</sup> March, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such repeal.

[F.No. A-12018/1/2014-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor